निग – 2682 – II-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक   /2016 जिला–सिंगरौली

1– लालजी पुत्र श्री सूर्य लाल जायसवाल
2– रामजी पुत्र श्री सूर्यलाल जायसवाल
3– बाबूराम पुत्र श्री सूर्यलाल जायसवाल
4– सुभाष चन्द्र पुत्र श्री सूर्यलाल जायसवाल
5– रामरक्षा पुत्र श्री सूर्यलाल जायसवाल
6– राम प्रकाश पुत्र श्री सूर्यलाल जायसवाल
निवासीगण–भाऊखेडा तहसील माडा जिला सिंगरौली (म.प्र.)

...... आवेदकगण

दिनांक 9.8.16 को श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत। 9-8-16 SO

विरूद्ध

1– सुरपतिया पत्नी शंकरकला
2– नर्मदा प्रसाद पुत्र श्री हीरालाल पाण्डे
3– सालिक राम पुत्र श्री राजनाथ कलार
4– मोहन सिंह पुत्र श्री ददई सिंह गौड
निवासीगण – कुम्हिया तहसील माडा जिला सिंगरौली (म.प्र.)
5– म.प्र. शासन

...... अनावेदकगण

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ–5 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1– यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरौली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 107 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि पुराना आराजी नं. 75 रकवा 3.246 है0 मौजा कुम्हिया में स्थित है, जिसके सर्वे क्रमांक बंदोबस्त के दौरान पुराना आराजी नं. 75 से निर्मित

(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग -2682/ II /16/ भिण्ड. लालजी / सुरपतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
03/01/19	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला - भिण्ड (लहार?) के प्रकरण क्रमांक 14/B-121/15-16 में पारित आदेश दिनांक 04/07-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग - ग्वा. के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18/04/19 को संभागीय आयुवत ग्वा. के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य	